


राजस्थान सरकार
निदेशालय होम्योपैथिक चिकित्सा विभाग, राजस्थान जयपुर
आयुष भवन सेक्टर-26 प्रताप नगर, जयपुर-302033

क्रमांक:-प.1(प्रति-2)/न.क.नियु./7/पार्ट II/2013/ 299

दिनांक:- 24/1/18

आंशिक संशोधन आदेश

इस विभाग के पूर्व प्रसारित आदेश क्रमांक प.1(प्रति-2)/न.क.नियु./7/पार्ट II/2013/228 दिनांक 23.01.2018 में अंकित पंक्ति राजस्थान आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी एवं प्राकृतिक चिकित्सा अधीनस्थ सेवा नियम, 1966 संशोधित नियम 210 एवं संशोधित नियम 2013 के स्थान पर "राजस्थान आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी एवं प्राकृतिक चिकित्सा अधीनस्थ सेवा नियम, 1966 संशोधित नियम 2010 एवं संशोधित नियम 2013" तथा उक्त आदेश में उल्लेखित शर्तों में शर्त संख्या 2 में अंकित पे मेट्रिक्स लेवल 8 के स्थान पर "पे मेट्रिक्स लेवल 10" पढा जावें ।


(कुन्दन कुमार माथुर)
निदेशक

क्रमांक:-प.1(प्रति-2)/न.क.नियु./7/पार्ट II/2013/

दिनांक:-

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

1. विशिष्ट सचिव, माननीय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं आयुर्वेद मंत्री, राजस्थान, जयपुर ।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग शासन सचिवालय, जयपुर ।
3. कुलसचिव, राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर ।
4. शासन उप सचिव, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग राजस्थान, जयपुर ।
5. निदेशक, आयुर्वेद विभाग राजस्थान अजमेर ।
6. निदेशक, यूनानी चिकित्सा विभाग राजस्थान जयपुर ।
7. नोडल अधिकारी, विभागीय वेबसाईट, निदेशालय होम्योपैथिक चिकित्सा विभाग राज. जयपुर को दी जाकर लेख है कि उक्त संवर्गवार अनंतिम चयन सूची को आज ही विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करें ।
8. प्रभारी, विधि शाखा निदेशालय होम्योपैथिक चिकित्सा विभाग राज. जयपुर ।
9. संबधित अभ्यर्थी..... ।
10. रक्षित पत्रावली ।

सहायक निदेशक